न्यायालय तहसीलदार, फतेहपुर जिला सीकर

मु0 न0	दायर दिनांक	अ0 धा0	निर्णय दिनांक
01/2019	29.05.2019	91 एल0आर0 एक्ट	09.07.2019

सरकार बनाम बीरबल पुत्र बिड़दाराम जाति–जाट, निवासी–किशनपुरा तहसील फतेहपुर

09.07.2019 पत्रावली आज पेश हुई । गैरसायल अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बिराणिंया ने सम्वत 2075 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की, कि **मोजा ग्राम किशनपुरा के राजकीय भूमि ख0न0 386 रकबा 4.04 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 0.07 है0 पर बीरबल पुत्र बिड़दाराम जाति–जाट, निवासी–किशनपुरा ने दीवार बना कर** अतिक्रमण किया है । रिपोर्ट पटवारी हल्का बिरांणिंया के आधार पर प्रकरण राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर गैरसायल को अ0 धा0 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलबी वास्ते जवाबदेही की गई । गैरसायल ने जवाब नोटिस जरीये वकील पेश किया, जिसके साथ ग्राम पंचायत बिराणिया द्वारा जारी पट्टा विलेख (60X75 वर्ग फुट) की प्रति पेश की गई। प्रतिवेदित 700 वर्ग मीटर भूमि मे से पट्टा विलेख के अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नही किया गया है। अतः पट्टे से अधिक 282 वर्ग मीटर भमि पर अतिक्रमण के संबंध मे किसी प्रकार का साक्ष्य आदि प्रस्तुत नही करने पर तथा पटवारी हल्का बिराणिया एवं भू0अ0नि0 बिराणिया के द्वारा पट्टे से अधिक भूमि पर कब्जे की पुष्टि करने पर **गैर सायल के विरूद्व दिनांक 09.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।**

रिपोर्ट पटवारी हल्का बिरांणिया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । गैर सायल द्वारा किये अतिक्रमित रकबे मे से 60X75 वर्ग फुट भूमि के साक्ष्य स्वरूप ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख की प्रति पेश की गई। शेष 282 वर्ग मीटर भुमि के संबंध मे कोई साक्ष्य आदि प्रस्तुत नही किया गया अतः पट्टे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित होता है। अतः गैर सायल को राज0 लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा **गैर सायल बीरबल पुत्र बिड़दाराम जाति–जाट, निवासी–किशनपुरा के राजकीय भूमि ख0न0 386 रकबा 4.04 है0 किस्म गै0मु0 जोहड़ में से 282 वर्ग मीटर भूमि से आदेश बेदखली पारित किया जाता है ।** भू0अ0नि0 बिराणिया को आदेश दिया जाता है कि गैर सायल को अतिक्रमित भूमि से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें ।

गैर सायल द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह **लगान 0.20 रू का 15 गुणा तावान की कुल राशि 8/–** रूपये बतौर शास्ती आरोपित किये जाते है । तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को मांग कायमी एवं वसूली हेतु लिखा जावें ।

Web Copy – Not Official

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो । निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील फतेहपुर – सीकर